Govt. of Rajasthan
Department of Technical Education

Sl No.: F 21(1)(6)TE./2015 Jaipur, Dated: 19.3.2019

Principal
Engineering College
Jhalawar

Subject:- Minutes of the BoG Meeting of Engineering College Society, Jhalawar held on 15-2-2019.

Sir,

The Minutes of Board of Governors meeting of Engineering College Society, Jhalawar held on 15-2-2019 duly approved by Hon'ble Minister of State & President of BoG is attached herewith. You are requested to kindly issue the same after placing it before the Chairman of the BoG.

A copy of the minutes issued also be sent to the Government at earlist possible and compliance of the decision taken must also be submitted to the Government.

Enclosed:As above.

Yours sincerely

25.3.19

(Dr. Manish Gupta)
Joint Secretary-II T.E.

अभियात्रिकी महाविद्यालय, झालावाड़

कमांकः दिनांकः

कार्यवाही विवरण

अभियांत्रिकी महाविद्यालय सोसायटी, झालावाड की बीओजी की बैठक दिनांक 15.2.2019 को माननीय मंत्री महोदय, तकनीकी शिक्षा विभाग, प्रेसीडेंट बीओजी की उपस्थिति में श्री मधुसूदन आचार्य, चेयरमैन, बीओजी की अध्यक्षता में आयोजित की गई।

बैठक में निम्न अधिकारियों द्वारा भाग लिया गयाः–

1 श्री वैभव गालरिया, शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
2 श्री रविन्द्र अग्रवाल, सदस्य
3 श्री भुवनेश शर्मा, सदस्य
4 श्री सुखजिन्दर सिंह, सदस्य
5 श्री मिथिलेश कुमार, प्राचार्य, सदस्य सचिव

उपरोक्त के अतिरिक्त निम्न अधिकारीगण भी उपस्थित हुयेः–

1 श्री एम.एम. सेतिया, संयुक्त सचिव, तकनीकी शिक्षा
2 श्री संदीप कुमार, निदेशक सीईजी
3 श्री अंकुर पारीक, समन्वयक (एसपीआईयू)

बैठक में एजेण्डा अनुसार विस्तृत विचार–विमर्श के उपरांत निम्न निर्णय लिये गयेः–

एजेण्डा संख्या	एजेण्डा आईटम	निर्णय
ITEM NO. 9.01	To submit the compliance report and confirmation of minutes of 8th meeting of the Board of Governors held on 30.05.2018.	Approved as proposed.
ITEM NO. 9.02	To consider and approve the Upgradation of AGP from 6000 to 7000 under CAS of Assistant Professors as per AICTE norms.	Matter is to be submitted separately to Technical Education Department.
ITEM NO. 9.03	To Consider and approve special leaves for teaching staff up to TEQIP-III project.	Teaching staff appointed under TEQIP project is governed by Terms & Conditions of their contract under which they are allowed to attend Seminar/ conference etc. for 15 days in a year. Hence, no special

		leave as per RSR Provision can be granted. In view of this, agenda is not approved.
ITEM NO. 9.04	To Consider and approve special leave for Non- Teaching staff up to TEQIP-III Project.	As non-teaching staff is also sent to mentor institutions for training under TEQIP-III project, Principal is empowered to sanction special leave on duty for non-teaching staff up to maximum 7 days upto TEQIP-III project duration. This decision shall be applicable to all engineering colleges under TEQIP-III project. Technical Education Department may issue a separate circular in this regard.
ITEM NO. 9.05	To consider and approve the Vision and Mission of the Institute	Approved as proposed.
ITEM NO. 9.06	To Consider and approve the 50 % DA is to be given to the faculty members attending the FDP/STTP/Workshop/ seminar/ conference/PDT/stc/in case of breakfast /lunch provided by the host institute.	DA as per RSR shall only be allowed.

बैठक में अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिन्दुओं पर विचार–विमर्श कर निम्न निर्णय लिये गयेः–

1. TEQIP-III के अन्तर्गत सामग्री क्रय के लिए अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए GF&AR के नियमों के तहत तय सीमा के अनुसार समाचार पत्रों में विज्ञप्ति दिये जाने का निर्णय लिया गया।
2. विभिन्न अभियांत्रिकी महाविद्यालयों के स्टाफ को सी.ए.एस. का लाभ दिये जाने हेतु जिस कमेटी का गठन किया जाता है उसका अनुमोदन प्रेसीडेन्ट बी.ओ.जी. से भी कराया जाए।
3. महाविद्यालयों में TEQIP-III परियोजना अन्तर्गत अब तक किये गये व्ययों की स्थिति का रिव्यू कर बी.ओ.जी. द्वारा असंतोष प्रकट किया गया। TEQIP-III परियोजना माह सितम्बर, 2020 में समाप्त होगी उससे पूर्व परियोजना की सम्पूर्ण राशि का उपयोग किया जाना सुनिश्चित करने हेतु निर्देश दिये गये।
4. महाविद्यालय के लेखों की सामान्यतया सी.ए. ऑडिट होती है परन्तु सी.ए. ऑडिट के साथ–साथ पिछले 5 वर्षों की विशेष ऑडिट एल.एफ.टी. के माध्यम से भी कराई जाए जिससे समस्त क्रय प्रक्रिया भी नियमानुसार हो रही है उसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। यह निर्णय सभी अभियांत्रिकी महाविद्यालयों पर लागू किया जाए।

5. अभियांत्रिकी महाविद्यालयों के बैंकों में खाता संचालन के लिए 25000 रूपये से अधिक के चैक पर प्राचार्य एवं एक अन्य अधिकारी (लेखा अधिकारी अथवा लेखाधिकारी न होने पर वित्त से सम्बन्धित अन्य अधिकारी) के हस्ताक्षर करवाये जावें।
6. राज्य में संचालित विभिन्न अभियांत्रिकी महाविद्यालयों में कार्यरत शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक कार्मिकों की भर्ती, पदोन्नति आदि के लिए वर्तमान में ए.आई.सी.टी.ई. गाइड्लाइन्स की पालना की जा रही है परन्तु अभी तक नियम बने हुए नहीं हैं। सभी अभियांत्रिकी महाविद्यालयों के लिए समान व्यवस्था लागू करने के लिए यह निर्णय लिया गया कि इस हेतु सेवा नियम बनाये जाकर सक्षम स्तर से स्वीकृत कराये जावे। सेवा नियम ड्राफ्ट करने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाए।
7. अभियांत्रिकी महाविद्यालयों के विभिन्न न्यायालयों में चल रहे कोर्ट केसेज के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अतिरिक्त महाधिवक्ता/पैनल लॉयर की सेवायें ली जायें।
8. अभियांत्रिकी महाविद्यालय में कार्यरत असिस्टेन्ट प्रोफेसर, एसोसियेट प्रोफेसर, प्रोफेसर द्वारा प्रत्येक सिमेस्टर में ली जाने वाली कक्षाओं एवं विषयों का माहवार प्लान बनाया जावे एवं उपरोक्त प्लान अनुसार अध्यापन किया जाना प्राचार्य द्वारा सुनिश्चित किया जावे।
9. महाविद्यालय में स्थापित I I I Cell (Industry Institute Instruction Cell) को और अधिक प्रभावी बनाया जावे एवं Cell द्वारा की गई कार्यवाही की प्रगति राज्य सरकार को भेजी जावे।
10. आगामी बी.ओ.जी. बैठक में अभियांत्रिकी महाविद्यालय का जिस अन्य अभियांत्रिकी महाविद्यालय से TEQIP-III परियोजना के अन्तर्गत Tuning Arrangement है। वहॉ के प्राचार्य एवं प्रतिनिधि को भी बुलाया जावे।

बैठक अन्त में सधन्यवाद समाप्त हुई।